न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 292/2019/223 (2019/00292

1. श्रीमती अनोप कंवर पत्नि हनुमान लाल, जाति दरोगा, निवासी मेवाड़ी गेट बाहर, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवर पुत्र स्व0 लालू, जाति रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती कमला बैवा भंवरसिंह,
   1/2— पूरणसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,
   1/3— अशोक सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,
   1/4— कौशल सिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह,
   1/5— लीला पुत्री स्व0 भंवरसिंह
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. हेमसिंह पुत्र स्व0 लालू, जाति रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 लालू, जाति रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. धन्नासिंह पुत्र मल्ला सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. धर्मा सिंह पुत्र मल्लासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. बुद्धराज पुत्र भोलाराम, जाति माली, निवासी नेहरू नगर, ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. कन्हैयालाल गांधी पुत्र मिश्रीलाल गांधी, जाति माहेश्वरी, निवासी अपर्ण, सांखला कॉलोनी, कॉलेज रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. अंकित गांधी पुत्र कन्हैयालाल, गांधी, जाति माहेश्वरी, निवासी अपर्ण, सांखला कॉलोनी रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर
10. उप—पंजीयक अधिकारी, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 22.7.2019 अंतर्गत वाद संख्या 36/2013.

उपस्थितः—

1. श्री बलवन्त सिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री नरपत भांकल, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
3. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 6.
4. रेस्पो0 संख्या 1 के वारिसान एवं 2, 4, 5, 7 व 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 22.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित आराजियात साबिक खसरा नंबर 322 मिन हाल खसरा नंबर 400 रकबा 1—9—00 किस्म बा.2 जिसे आगे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा । उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे, जिन्होंने उपरोक्त आराजी खसरा संख्या 322 मिन को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रप् दिनांक 14.9.1981 के द्वारा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बएवज प्रतिफल विक्रय कर दिया तथा उक्त आराजी का वास्तविक एवं भौतिक रिक्त कब्जा भी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को संभला दिया तब से विवादित आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 काबिज काश्त चले आ रहे है । वादग्रस्त आराजी में वादिया का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ही अंकित चली आ रही है । उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित होने से उनकी नियत बद हो गई है तथा वे अब उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने एवं उसे हड़पने तथा अन्यंत्र विक्रय करने पर आमादा है । प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पत्नियां होने से उक्त आराजी से वादिया को जबरन बेदखल करने तथा उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हो रही है । वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से संपर्क कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम नामांतकरण कराने तथा बंटवारा करने हेतु मांग की गई किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इंकार हो गये तथा भूमि से बेदखल करने तथा अन्य को बेचान की धमकी दी । इस कारण वाद की आवश्यकता हुई । मौजूदा वाद दायरी के पश्चात् वादिया को यह जानकारी हुई कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही थी तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से में आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा बिना किसी आधार एवं अधिकार के प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया तथा उसका नामांतकरण भी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से खोल दिया गया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को 1/4 हिस्से का विक्रय कर दिया तथा उसका नामांतकरण भी दिनांक 7.8.2012 को प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम तस्दीक कर दिया गया । उक्त बेचान एवं नामांतकरण प्रारंभ से ही गलत, अवैध एवं शून्य है तथा वादिया के अधिकारों पर पूर्णतया बेअसर है । इस कारण वादिया राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाते हुए अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उक्त भूमि अपने नाम अंकित करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 10 के नाम किये गये अंकन को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है । अब प्रतिवादी संख्या 8 से 10 की नियत भी खराब होने से वादिया को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने तथा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है । अतः उन्हें भी जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है । अतः यह घोषित किया जावे कि वाद के मद नंबर 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा वादिया का

क्रयशुदा होने से वादिया उक्त 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी विक्रय कर दिये जाने से कोई संबधं सरोकार या अधिकार नहीं है । अतः वादिया 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 व श्रीमती चित्रा गोयल के नाम किया गया बेचान व नामांतकरण तथा चित्रा द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में किया गया बेचान व नामांतकरण अवैध एवं शून्य घोषित किये जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.2019 द्वारा वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0नया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा बेचाननामा साबिक खसरा नंबर 322 मिन रकबा 1–9–0 किस्म बा.2 तथा जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 232 में बना खसरा नंबर 400 रकबा 1–10–00 प्रस्तुत किये गये थे जिस पर अधी0न्याया0 के समक्ष बरवक्त मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी अवलोकनानार्थ प्रस्तुत की गई थी परन्तु तत्समय सत्यप्रतियां नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रश्नगबत आदेश में मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत् जो विवेचन कर वाद खारिज किया है वह विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 को सत्य प्रतियां प्रस्तुत करने हेतु समय देना चाहिये था । अधी0न्याया0 तहसीलदार से भी उक्त रिकार्ड तलब कर सकते थे । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लालू व धन्ना सिंह द्वारा खसरा नंबर 322 मिन रकबा 1–9–00 भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 14.9.1981 के तहत अपीलांट व मूमी एवं बिदामी को बेएवज प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया जिस पर अपीलांट क्रय से प्राप्त अधिकारों से काबिज होकर काश्त कर रही है । तत्समय विखण्डन कर नामांतकरण हेतु निवेदन किया गया किन्तु तहसीलदार द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि होना बताकर विधिवत् बंटवारा नहीं होने से उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । साबिक खसरा नंबर 322 लालू व धन्ना सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकित चले आये थे तथा उन्होंने अपने खातेदारी अधिकारों के तहत ही उक्त भूमि अपीलांट व मूमी व बिदामी को विक्रय की थी । किन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही थी इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से में आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा बिना किसी आधार एवं अधिकार के प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया तथा उसका नामांतकरण भी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से खोल दिया गया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को 1/4 हिस्से का विक्रय कर दिया तथा उसका नामांतकरण भी दिनांक 7.8.2012 को प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम तस्दीक कर दिया गया । उक्त बेचान एवं नामांतकरण प्रारंभ से ही गलत, अवैध एवं शून्य है तथा वादिया के अधिकारों पर पूर्णतया बेअसर है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट/वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है वे दावा दायरी से पूर्व के है, जिनकी वादिया/अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी । अपीलांट वाद में रही कमियों को अपील के माध्यम से पूर्ण नहीं कर सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादिया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम सेदरिया पटवार हल्का सेदरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित खाता संख्या 43 के खसरा नंबर पुराना 322 मिन नया 400 रकबा 1–09–00 बा–2 भूमि के खातेदार काश्तकार पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे जिन्होंने उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 322 मिन को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.9.1981 के द्वारा वादिया को 1/2 हिस्से का एवं शेष 1/2 हिस्से का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को कर दिया था तब से विवादित आराजियात पर विक्रय पत्र के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । विक्रय उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजियात पर कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी में से अपने 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्से का बिना किसी अधिकार एवं आधार के प्रतिवादी संख्या 8 बुद्धराज को विक्रय कर दिया जिसके नाम नामांतकरण भी तस्दीक हो गया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने 1/2 हिस्से में शेष आधा हिस्सा अर्थात् 1/4 हिस्सा बिना किसी अधिकार एवं आधार के श्रीमती चित्रा गुप्ता पत्नि ललित कुमार गोयल को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर चित्रा गुप्ता के नाम नामांतकरण स्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् चित्रा गुप्ता द्वारा 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को कर दिया गया तथा उक्त विक्रय की पालना में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम नामांतकरण स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त संपूर्ण आराजी का विक्रय वादिया/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 व 4 को कर कब्जा संभला दिया था । अतः वाद स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जावे । साथ ही प्रतिवादी संख्या 8 व श्रीमती चित्रा गोयल के नाम किया गया बेचान व नामांतकरण तथा श्रीमती चित्रा गोयल द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पक्ष में किया गया बेचान एवं नामांतकरण को निरस्त किया जावे तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के मध्य बंटवारे की डिक्री पारित की जाकर प्रवितादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.2019 द्वारा वादिया का वाद इस आधार पर खारिज किया कि वादिया ने मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है कि साबिक खसरा संख्या 322 मिन का हाल खसरा नंबर 400 बना हो । इसके अतिरिक्त बेचाननामे में ग्राम सेदरिया का साबिक खसरा नंबर 322 मिन अंकित है जिसका रकबा 1–09–00 किस्म बा.2 अंकित है जबकि जमाबंदी संवत्

2068 से 2071 के खाता संख्या 232 में अंकित खसरा नंबर 400 का रकबा 1–10–00 बीघा किस्म बा. 2 अंकित है जिसका रकबा पुराने मिन खसरा नंबर से हाल के बने खसरा नंबर से मिलान नहीं करता है ।

7. अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.9.1981 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार लाल, मल्ला पि0 अन्ना, जाति रावत साकिन सेदरिया द्वारा विवादित आराजियात खाता संख्या 43 खसरा संख्या साबिक 322 मिन रकबा 1–09–00 किस्म बा. 2 में श्रीमती अनोप कंवर पत्नि हनुमानलाल जाति दरोगा, साकिन मेवाड़ी गेट के बाहर ब्यावर को बहिस्सा 1/2, श्रीमती मूमी पत्नि लालू, श्रीमती बिदामी पत्नि मल्ला जाति रावतान को 1/2 हिस्से का बएवज 5000/–रू0 में मय नींव, सींव सेरा पाली रगत पड़त यानि ढाल सहित बेचान कर दिया है एवं कब्जा संभला दिया है । ग्राम सेदरिया की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या नयी 232 पुरानी 183 के खसरा नंबर 400 रकबा 1–10–00 बीघा बुद्धराज वल्द भोलाराम, जाति माली, सा0नेहरूनगर, ब्यावर 1/4 हिस्सा, चित्रा पत्नि ललित कुमार गोयल, जाति अग्रवाल नि0 अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड़, ब्यावर हिस्सा 1/4, भंवरसिंह, हेमसिहं, प्रहलादसिंह पि0 लालसिंह, कौम रावत हिस्सा 1/2 सा0देह दर्ज है । उक्त जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 1285 दिनांक 7.8.2012 के नोट के अनुसार बेचान से खसरा नंबर 400 रकबा 1–10–00 में विक्रेता चित्र पत्नि ललित कुमार गोयल जाति अग्रवाल नि0 अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड़ ब्यावर हिस्सा 1/4 के स्थान पर बहक क्रेता कन्हैयालाल गांधी पुत्र मिश्रीलाल गांधी व अंकित गांधी पुत्र कन्हैयालाल गांधी, जाति माहेश्वरी निवासी अर्पन सांखला कॉलोनी कॉलज रोड़ ब्यावर बहिस्से बराबर हिस्सा 1/4 खातेदार के नाम पर इंद्राज करने की स्वीकृति हुई है । शेष इंद्राजात यथावत जमाबंदी । अपीलांट ने अपील के साथ ग्राम सेदरिया, तहसील ब्यावर की जमाबंदी खेवट संवत् 2025 से 2028 की पेश की जिसके अनुसार खसरा नंबर 322 मिन रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार लालू व मल्ला पि0 अन्ना कौम माली दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 322 मिन के नवीन खसरा नबर 400 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बने है। इसी प्रकार वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार अन्य आराजियात के साथ–साथ खसरा ंनबर 400 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बा. 2 लालसिंह व मल्ला पि0 अन्ना कौम रावत के नाम दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 में अंकित नामांतकरण संख्या 331 दिनांक 18.5.1994 के नोट अनुसार खसरा ंनबर 400 में मल्लासिंह वल्द अन्ना के हिस्से में से आधा हिस्सा के बुद्धराज जाति माली के नाम दर्ज करने का इंद्राज हैं । जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में अंकित नामांतकरण संख्या 1063 दिनांक 5.5.2010 के अनुसार खसरा नंबर 400 विक्रेता मल्लासिंह वल्द अन्नासिंह के स्थान पर बहक क्रेता श्रीमती चित्रा पत्नि ललित कुमार गोयल के नाम अंकन स्वीकृत किया गया है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 400 रकबा 0.2428 है0 भूमि अंकित गांधी पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/8, कन्हैयालाल गांधी पुत्र मिश्रीलाल गांधी 1/8 हिस्सा, प्रहलादसिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 1/6, बुद्धराज पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/4, भंवरसिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 1/6, हेमसिंह पुत्र लालसिंह 1/6 हिस्सा अनुसार दर्ज है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात साबिक खसरा नंबर 322 मिन के नवीन खसरा नंबर 400 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार काश्तकार लालू व मल्लासिंह पुत्रगण अन्ना रावत थे। खातेदारान लालू व मल्लासिंह द्वारा विवादित आराजियात खसरा नंबर 322 मिन रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.9.1981 को वादिया/अपीलांट को 1/2 हिस्सा तथा शेष

1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 मूमी पत्नि लालू व प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती बिदामी पत्नि मल्ला जाति रावतान को किया जाना स्पष्ट है । विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 322 मिन नवीन खसरा नंबर 400 के मूल खातेदारान लालू व मल्लासिंह द्वारा विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का बेचान वादिया/अपीलांट को तथा शेष 1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र किया जा चुका था तो पुनः खसरा नंबर 400 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बुद्धराज को 1/4 हिस्से का एवं श्रीमती चित्रा पत्नि ललित को 1/4 हिस्से का बेचान कर दिया तथा उक्त विक्रयपत्रों की पालना में क्रेता बुद्धराज एवं श्रीमती चित्रा पत्नि ललित के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत कर दिये गये। इसी क्रम में श्रीमती चित्रा पत्नि ललित द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को 1/4 हिस्से का बेचान कर दिया गया जिसका नामांतकरण भी प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है । जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजी का बेचान वादिया/अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया जा चुका था तो उसी आराजी का पुनः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बुद्धराज एवं श्रीमती चित्रा पत्नि ललित एवं श्रीमती चित्रा पत्नि ललित द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को पुनः बेचान नहीं किया जा सकता था । अपीलांट ने अपील पत्रावली के साथ विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है । अधी0न्याया0 ने वादिया का वाद मिलान क्षेत्रफल तथा रकबे के मिलान नहीं होने के आधार पर खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित थे । अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद खारिज किया है । चूंकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पत्रावली के साथ विवादित आराजियात के संबंध में उपरोक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है जिनका हम अधी0न्याया0 द्वारा परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वादपत्र में आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर